छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

दांडिक विविध याचिका क्र. 128/2010

आवेदक राज कुमार सिंघानिया
(अभियुक्त)

बनाम

अनावेदक अशोक जैन
(परिवादी)

दांडिक विविध याचिका क्र. 129/2010

आवेदक राज कुमार सिंघानिया
(अभियुक्त)

बनाम

अनावेदक अशोक जैन
(परिवादी)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक विविध याचिका क्र. 130/2010

आवेदक राज कुमार सिंघानिया
(अभियुक्त)

बनाम

अनावेदक अशोक जैन
(परिवादी)

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका)

उपस्थिति-

श्री उत्तम पांडेय, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

श्री अमियाकांत तिवारी, अधिवक्ता उत्तरवादी की ओर से ।

आदेश

(दिनांक 19.10.2011 को उद्घोषित)

उपर्युक्त तीनों याचिकाओं (दांडिक विविध याचिका क्र. 128, 129 और 130, वर्ष 2010), जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं, का निराकरण एक उभयनिष्ठ आदेश द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि तीनों प्रकरणों में विधि और तथ्य के समान प्रश्न विचारार्थ उत्पन्न हुए हैं।

2. उत्तरवादी-परिवादी अशोक जैन ने याचिकाकर्ता-अभियुक्त के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में "1881 का अधिनियम") की धारा 138 के अधीन अपराध कारित करने का अभियोग लगाते हुए तीन अलग-अलग परिवाद दायर किए। यह परिवाद याचिकाकर्ता द्वारा परिवादी को दिए गए तीन अलग-अलग चेकों के अनादरण के कारण दायर किए गए थे। प्रत्येक प्रकरणों में दायर परिवाद के अवलोकन पर, मजिस्ट्रेट ने 1881 के अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया, जिसके परिणामस्वरूप तीन दांडिक प्रकरण, क्रमशः दांडिक प्रकरण क्र. 13, 14 और 15, वर्ष 2009 पंजीबद्ध किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रत्येक प्रकरण में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-07-2009, जिसके द्वारा संज्ञान लिया गया है, से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उपरोक्त तीन याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक प्रकरणों में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03-07-2009 (अनुलग्नक ए-5) को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गई है।

4. यद्यपि याचिका में कई आधार उठाए गए हैं, परंतु इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के समय, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 03-07-2009, जिसके द्वारा आवेदक के विरुद्ध 1881 के अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर संज्ञान लिया

गया है, की वैधता और वैधानिकता को केवल इस एक आधार पर चुनौती दी कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवाद के साथ संलग्न साक्षियों की सूची के अनुसार परिवादी और साक्षियों की शपथ पर परीक्षा किए बिना संज्ञान लेकर, अपराध पंजीबद्ध करके और आदेशिका जारी करके अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 200 में अंतर्विष्ट उपबंध, जो 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर परिवाद पर संस्थित कार्यवाहियों में लागू होते हैं, आज्ञापक रूप से यह अपेक्षा करते हैं कि मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान लेकर आदेशिका जारी करने से पूर्व परिवादी और उपस्थित साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करें। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि अपराध का पंजीयन और आदेशिका जारी करना, जिससे दांडिक विधि की प्रक्रिया गतिशील होती है, एक गंभीर प्रकरण है। अतः, संहिता की धारा 200 में अंतर्विष्ट उपबंध, जो संज्ञान लेने की प्रक्रिया विहित करते हैं, आज्ञापक हैं और संज्ञान लेने तथा आदेशिका जारी करने से पूर्व इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि संहिता की धारा 200 के उपबंध मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को दांडिक कार्यवाहियों के अधीन लाने की शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए मजिस्ट्रेट पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह परिवाद की सत्यता या वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या परिवाद के समर्थन में कोई साक्ष्य है जिससे आदेशिका जारी करना न्यायोचित हो, परिवादी और उसके साक्षियों ,यदि कोई, उपस्थित हो की शपथ पर परीक्षा करें। उनका तर्क है कि परिवाद पर संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह परिवाद की सच्चाई के प्रति स्वयं को संतुष्ट करने के लिए परिवादी और उसके साक्षियों यदि कोई हो की शपथ पर परीक्षा करें, जिसका उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि क्या लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण बनता है ताकि वह आदेशिका जारी कर सकें। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रकाश चंद बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 2010(1) क्राइम्स 430 (राज.) के निर्णय का अवलंब लिया।

5. दूसरी ओर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इसका प्रबल विरोध करते हुए तर्क दिया कि संहिता की धारा 200 की यह अपेक्षा कि परिवादी और उसके साक्षियों ,यदि कोई उपस्थित हो, की शपथ पर परीक्षा की जाए, 1881 के अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के अभियोग वाले परिवाद पर संज्ञान लेने के प्रकरणों में लागू नहीं होगी। इसका कारण 1881 के अधिनियम के अध्याय **XVII** के अंतर्गत ऐसे अपराध का संज्ञान लेने और विचारण के लिए विहित विशेष उपबंध और प्रक्रिया है। उनका कहना है कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 में अंतर्विष्ट विशेष उपबंधों के मद्देनजर, कतिपय परिस्थितियों में चेक का अनादरण दंडनीय अपराध बनाया गया है। अतः, यदि परिवाद 1881 के अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के आवश्यक तत्वों को प्रकट करता है, तो मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संज्ञान लेने और आदेशिका जारी करने से पूर्व आवश्यक रूप से परिवादी की शपथ पर परीक्षा करें, और न ही परिवादी के साक्षियों को बुलाने और उनकी परीक्षा करने की कोई बाध्यता है। यह भी तर्क दिया गया कि 1881 के अधिनियम के अध्याय **XVII** में अंतर्विष्ट उक्त उपबंध, परिवाद पर संज्ञान लेने के प्रकरणों में संहिता में अंतर्विष्ट सामान्य उपबंधों पर अभिभावी प्रभाव रखते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 1881 के अधिनियम की धारा 142 में अंतर्विष्ट उपबंध, संहिता में संज्ञान लेने के संबंध में अंतर्विष्ट सामान्य उपबंधों पर अभिभावी हैं। इसलिए, मजिस्ट्रेट पर परिवादी और उसके साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करने की कोई बाध्यता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि 1881 के अधिनियम की धारा 145 के तहत शपथ पत्र पर साक्ष्य लेने के लिए विहित विशेष प्रक्रिया का अभिभावी प्रभाव है, जो यह विहित करती है कि परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

शपथ पत्र पर दिया जा सकता है, जिसे सभी न्यायोचित अपवादों के अधीन रहते हुए, संहिता के तहत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है, यद्यपि न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति को समन करने और पुनः परीक्षा करने तथा उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में शपथ पत्र पर साक्ष्य देने की शक्ति सुरक्षित रहती है। अपने तर्क के समर्थन में, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के **श्रीमती शमशाद बेगम बनाम बी. मोहम्मद, 2008(7) सुप्रीम 529** और **मैसर्स मांडवी को-ऑप. बैंक लि. बनाम निमेश बी. ठाकोर, ए.आई.आर. 2010 सुप्रीम कोर्ट 1402** के निर्णयों का अवलंब लिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. यह विनिश्चय करने के लिए कि क्या संज्ञान लेते समय और अभियुक्त को आदेशिका जारी करते समय परिवादी और उसके साक्षियों (यदि कोई उपस्थित हो) की शपथ पर परीक्षा करना आज्ञापक है, संहिता के तहत परिवाद ग्रहण करने और संज्ञान लेने तथा इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध दांडिक विधि को गतिशील करने के प्रकरणों में वैधानिक योजना का परीक्षण करना आवश्यक है।

संहिता का अध्याय **XV** मजिस्ट्रेटों से परिवाद के संबंध में उपबंध करता है। संहिता की धारा 200 प्रासंगिक होने के कारण नीचे उद्धृत की जा रही है:-

> **200. परिवादी की परीक्षा -** "परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की और उपस्थित साक्षियों की, यदि कोई हों, शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और उस पर परिवादी और साक्षियों के तथा मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर होंगे:

परंतु जब परिवाद लिखित रूप में किया जाता है तब मजिस्ट्रेट को परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने की आवश्यकता निम्नलिखित दशाओं में न होगी-

(क) यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है; अथवा

(ख) यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए प्रकरण धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है:

परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् प्रकरण धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो पश्चात्वर्ती मजिस्ट्रेट को उनकी पुनः परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संहिता की धारा 201 में उस मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विहित है जो प्रकरण का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। संहिता की धारा 202 में आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करने के संबंध में उपबंध है। इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 203 में परिवाद को खारिज करने का उपबंध है।

7. ऊपर उद्धृत संहिता की धारा 200 के उपबंधों को पढ़ने से यह प्रकट होता है कि परिवाद पर अपराधों का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी और उपस्थित साक्षियों की ,यदि कोई हों, शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और उस पर परिवादी, साक्षियों और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। उक्त प्रावधान का पहला परंतु उन परिस्थितियों को विस्तार से निर्धारित

करता है जिनके अंतर्गत मजिस्ट्रेट को परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि खंड (क) और (ख) में वर्णित है। खंड (ख) का परंतु यह उपबंध करता है कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने के बाद प्रकरण धारा 192 के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट को उनकी पुनः परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 202 मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करना मुल्तवी करने और यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, स्वयं प्रकरण की जांच करने या पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। उन प्रकरणों में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर निवास कर रहा है जिसमें मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, मजिस्ट्रेट के लिए यह बाध्यकारी है कि वह आदेशिका जारी करना मुल्तवी करे, और या तो स्वयं प्रकरण की जांच करे या पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निदेश दे, ताकि यह विनिश्चय किया जा सके कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। इसके परंतु में दो खंड (क) और (ख) हैं, जो अन्वेषण के लिए निदेश देने से संबंधित सामान्य उपबंधों के अपवाद हैं। धारा 203 यह उपबंध करती है कि परिवादी और साक्षियों के शपथ पर कथन (यदि कोई हो) और धारा 202 के तहत जांच या अन्वेषण (यदि कोई हो) के परिणाम पर विचार करने के बाद, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह परिवाद को खारिज कर देगा, और ऐसे प्रत्येक प्रकरण में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के प्रारंभ से संबंधित उपबंध अध्याय-**XVI** में निहित हैं और विभिन्न उपबंधों के बीच, संहिता की धारा 204(1) महत्वपूर्ण रूप

से यह उपबंध करती है कि यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट समन या वारंट जारी करेगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रकरण समन प्रकरण है या वारंट प्रकरण।

9. अपराध कारित करने का अभियोग लगाते हुए मजिस्ट्रेट को किए गए परिवाद पर संज्ञान लेने की उपरोक्त वैधानिक योजना यह स्पष्ट करती है कि संज्ञान लेने, समन या वारंट के माध्यम से आदेशिका जारी करने की कार्यवाही एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करने और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर सम्यक रूप से मस्तिष्क का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। चूंकि अपराध पंजीबद्ध कर संज्ञान लेने और आदेशिका जारी करने का प्रभाव दांडिक विधि को गतिशील करना और किसी व्यक्ति को दांडिक विचारण की कठोरता के अधीन करना है, इसलिए परिवादी की शपथ पर परीक्षा की आवश्यकता को एक कोरी औपचारिकता नहीं माना जा सकता और न ही यह कहा जा सकता है कि यह केवल निर्देशिका है, जिसके उल्लंघन का संज्ञान लेने वाले आदेश पर कोई दूषित प्रभाव नहीं पड़ेगा। संहिता की धारा 200 के उपबंध को पढ़ने से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट पर यह उपबंध करके कर्तव्य डाला गया है कि मजिस्ट्रेट परिवादी और उपस्थित साक्षियों (यदि कोई हों) की शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और उस पर परिवादी, साक्षियों और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। मजिस्ट्रेट पर कर्तव्य डालने वाले ऐसे विशिष्ट उपबंधों को अधिनियमित करने और आज्ञापक प्रकृति को इंगित करने वाले शब्दों का उपयोग करने के पीछे हितकारी उद्देश्य और प्रयोजन, परिवाद की सत्यता और वास्तविकता को सुनिश्चित करना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि क्या

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परिवाद के समर्थन में कोई साक्ष्य है, जिससे आदेशिका जारी करना न्यायोचित हो। अतः, परिवाद पर संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह परिवाद की सच्चाई के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए परिवादी और उसके साक्षियों (यदि कोई उपस्थित हो) की शपथ पर परीक्षा करे। इसका उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि क्या आरोपों से प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण बनता है ताकि वह आदेशिका जारी कर सके।

10. **निर्मलजीत सिंह हून बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1973) 3 एस.सी.सी. 753** के प्रकरणों में, उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिमत व्यक्त किया:-

> **17.** "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद प्राप्त होने पर जांच या अन्वेषण का आदेश परिवाद की सत्यता या असत्यता का पता लगाने के प्रयोजन के लिए दिया जाता है। यदि वह मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष परिवाद किया गया है या जिसे यह अंतरित किया गया है, परिवादी और उसके साक्षियों के शपथ पर कथन और धारा 202 के तहत जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के बाद, इस राय का है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो वह कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करते हुए परिवाद को खारिज कर सकता है। इसके विपरीत, यदि अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की राय है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त कारण है, तो उसे संहिता की धारा 204 के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करनी चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल और अन्य, (2004) 7 एस.सी.सी. 338** के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय को संहिता की उस योजना का परीक्षण करने का अवसर मिला, जो मजिस्ट्रेटों द्वारा परिवादों पर विचार करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ करने का उपबंध करती है, जैसा कि संहिता के अध्याय **XV** और **XVI** में निहित है, और यह अभिनिर्धारित किया गया:-

> **12.** "धारा 200 यह परिकल्पना करती है कि परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट परिवाद की परीक्षा करे और परिवादी तथा उपस्थित साक्षियों की, यदि कोई हों, शपथ पर परीक्षा करे। परिवाद और साक्षियों की, यदि कोई हों, ऐसी परीक्षा पर, यदि मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करना मुल्तवी नहीं करना चाहता है, तो उसे धारा 203 के तहत परिवाद को खारिज करना होगा यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि परिवाद, परिवादी के कथन और साक्षियों ने कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनाया है। इसके विपरीत, यदि वह संतुष्ट है कि आगे की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और परिवाद, तथा उस चरण पर प्रस्तुत साक्ष्य में कार्यवाही के लिए सामग्री है, तो वह संहिता की धारा 204 के तहत आदेशिका जारी करने के लिए आगे बढ़ सकता है।"

> **13.** "धारा 202 'आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करने' की परिकल्पना करती है। यह उपबंध करती है कि यदि मजिस्ट्रेट परिवाद प्राप्त होने पर, यदि वह ठीक समझता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करना मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं प्रकरणों की और जांच कर सकता है या पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निदेश दे सकता है। उस प्रक्रिया में यदि वह ठीक समझता है तो वह साक्षियों का साक्ष्य शपथ पर भी ले सकता है, और ऐसे अन्वेषण, जांच और पुलिस की रिपोर्ट (यदि मजिस्ट्रेट द्वारा मांगी गई हो) के बाद यदि वह पाता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह संहिता की धारा 203 के तहत परिकल्पित अनुसार ऐसा करने के कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करते हुए परिवाद को खारिज कर सकता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उच्चतम न्यायालय ने परिवादी की परीक्षा की आवश्यकता की आज्ञापक प्रकृति पर जोर देते हुए निम्न शब्दों में कहा:-

14. "किंतु परिवाद का संज्ञान लेने और परिवादी तथा साक्षियों की परीक्षा करने के बाद यदि वह संतुष्ट है कि परिवाद के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह संहिता की धारा 204 के तहत समन के माध्यम से आदेशिका जारी कर सकता है। इसलिए, धारा 204 के तहत आदेशिका जारी करने के लिए जो आवश्यक है या जो पूर्व-शर्त है, वह मजिस्ट्रेट की यह संतुष्टि है, जो या तो परिवादी और साक्षियों की परीक्षा से या धारा 202 के तहत परिकल्पित जांच से प्राप्त होती है, कि परिवाद के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है, अतः संहिता की धारा 204 के तहत आदेशिका जारी की जाए।"

-------------xxxx-------------

-------------xxxx-------------

12. **सबीता राममूर्ति और अन्य बनाम आर.बी.एस. चन्नबसवाराध्य, ए.आई.आर. 2006 सुप्रीम कोर्ट 3086** के प्रकरण में, 1881 के अधिनियम की धारा 141 और संहिता की धारा 200 की वैधानिक योजना का परीक्षण करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने पुनः परिवादी की शपथ पर परीक्षा की आज्ञापक आवश्यकता पर जोर देते हुए निम्न शब्द कहे:-

> *7.* -------------xxxx-------------
>
> -------------xxxx-------------
>
> "ऐसे प्रकरणों में जहां न्यायालय को समन जारी करना अपेक्षित है, जिससे अभियुक्त को किसी प्रकार की प्रताड़ना होगी, न्यायालय को वैधानिक आवश्यकताओं के कठोर अनुपालन पर जोर देना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के निबंधनों के अनुसार, परिवादी शपथ पर यह कथन करने के लिए बाध्य है कि अपराध कैसे कारित किया गया है और अभियुक्त व्यक्ति इसके लिए कैसे उत्तरदायी हैं। यदि, अंततः, अभियोजन तुच्छ या अन्यथा दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है, तो न्यायालय अभियुक्त के दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए परिवादी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने का निदेश दे सकता है। अभियुक्त नुकसानी के लिए वाद दायर करने का भी हकदार होगा। दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंधों का निर्वचन उपरोक्त दृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त निर्णयों और ऊपर चर्चा की गई वैधानिक योजना के परीक्षण से यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि संहिता की धारा 200 के तहत परिवाद ग्रहण

करते समय और परिवाद पर संज्ञान लेते समय, मजिस्ट्रेट के लिए यह आज्ञापक रूप से अपेक्षित है कि वह परिवादी और उसके साक्षियों (यदि कोई उपस्थित हो) की शपथ पर परीक्षा करे। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक स्थिति का पालन **प्रकाश चंद बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 2010(1) क्राइम्स 430 (राज.), एन. हरिहर अय्यर बनाम केरल राज्य, 2000 क्रि.लॉ.ज. 1251 और महाराजा डेवलपर्स एवं अन्य बनाम उदयसिंह प्रतापसिंहराव भोसले एवं अन्य, 2007 क्रि.लॉ.ज. 2207** में किया गया है।

14. अब उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का परीक्षण करना आवश्यक है कि 1881 के अधिनियम में संज्ञान लेने के संबंध में धारा 142 के तहत और शपथ पत्र पर साक्ष्य लेने के संबंध में धारा 145 के तहत अंतर्विष्ट विशेष उपबंध, संहिता की धारा 200 में अंतर्विष्ट उपबंधों को लागू होने से रोकते हैं। इस विषय के निराकरण के लिए, संहिता की धारा 4 और 5 में अंतर्विष्ट उपबंधों को देखना आवश्यक है, जो नीचे उद्धृत हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **4. भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण -** (1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
>
> (2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार की जाएगी, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए।

> **5. व्यावृत्ति -** इस संहिता की कोई बात, तत्प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में, तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति पर, या विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी।

संहिता की धारा 4 की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि किसी अन्य विधि के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार की जाएगी, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए। संहिता की धारा 5 आगे यह उपबंध करती है कि इस संहिता की कोई भी बात, तत्प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में, तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति पर, या विहित किसी विशेष प्रक्रिया के रूप पर प्रभाव नहीं डालेगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतः, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को समझने के लिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या 1881 के अधिनियम के अध्याय **XVI** में ऐसा कोई विशेष उपबंध मौजूद है, जो 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के अन्वेषण या जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति को विनियमित करता हो। 1881 के अधिनियम की धारा 139 चेक के धारक के पक्ष में उपधारणा का सृजन करती है। धारा 140 विशेष रूप से उन प्रतिरक्षाओं को बाहर करती है, जिन्हें 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी अभियोजन में अनुमति नहीं दी जा सकती। 1881 के अधिनियम की धारा 141 कंपनी के प्रकरणों में आपराधिक

दायित्व के संबंध में उपबंध करती है। 1881 के अधिनियम की धारा 142, जो एक नॉन-ऑब्स्टैंट खंड के साथ शुरू होती है, जिससे इसे अभिभावी प्रभाव मिलता है, अपराध के संज्ञान के संबंध में उपबंध करती है। अपराधों के संज्ञान के संबंध में ऐसे विशेष उपबंधों के दायरे, विस्तार और परिधि पर उच्चतम न्यायालय ने **पंकजभाई नगजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 567** के प्रकरण में विचार किया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया:-

> "धारा 142 में उपबंधित नॉन-ऑब्स्टैंट अभिव्यक्ति का उद्देश्य केवल तीन पहलुओं के संबंध में प्रभावी होना है और उससे अधिक कुछ नहीं। पहला यह है: जहां तक धारा 138 के तहत अपराध का संबंध है, कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा सिवाय चेक के आदाता या सम्यक अनुक्रम धारक द्वारा किए गए परिवाद पर। दूसरा यह है: जहां तक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का संबंध है, ऐसा परिवाद वाद-हेतुक के एक महीने के भीतर किया जाएगा। तीसरा यह है: धारा 138 के तहत अपराध के लिए, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय उक्त अपराध का विचारण नहीं करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उक्त प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया:-

> 'तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति' पर संहिता का लागू न होना, इस प्रकार उस क्षेत्र तक सीमित है जहां ऐसी विशेष अधिकारिता या शक्ति प्रदत्त की गई है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 में अहीयमान खंड का आशय

केवल तीन पहलुओं के संबंध में प्रभावी होना है और उससे अधिक कुछ नहीं। पहला यह है: संहिता के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान, संहिता के अध्याय **XIV** में भिन्न रूप से उपदर्शित प्रकरणों को छोड़कर, या तो परिवाद प्राप्त होने पर, या पुलिस रिपोर्ट पर, या किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर, या स्वयं अपनी जानकारी पर ले सकता है। परंतु परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 यह कहती है कि जहां तक धारा 138 के अधीन अपराध का संबंध है, कोई भी न्यायालय, चेक के आदाता या सम्यक अनुक्रम धारक द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय, संज्ञान नहीं लेगा।

दूसरा यह है: संहिता के अधीन, अध्याय **XXXVI** के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिवाद किसी भी समय किया जा सकता है। परंतु जहां तक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का संबंध है, ऐसा परिवाद वाद हेतुक उत्पन्न होने के एक माह के भीतर किया जाएगा।

तीसरा यह है: संहिता की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 511 के अधीन, यदि अपराध किसी अधिनियमिति (भारतीय दंड संहिता से भिन्न) के अधीन 3 वर्ष से कम के कारावास से या केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो ऐसे अपराध का विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। सामान्यतः परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138, जो एक वर्ष के अधिकतम कारावास के दंडादेश से दंडनीय है, उक्त अनुच्छेद की परिधि में आती। परंतु परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 यह कहती है कि धारा 138 के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधीन अपराध के लिए, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय उक्त अपराध का विचारण नहीं करेगा।"

15. अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि 1881 के अधिनियम की धारा 142 में अंतर्विष्ट अभिभावी उपबंधों का प्रभाव मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेते समय और अभियुक्त को आदेशिका जारी करते समय परिवादी और उसके साक्षियों (यदि कोई उपस्थित हो) की शपथ पर परीक्षा करने के उसके आज्ञापक कर्तव्य से मुक्त करना है, यहां तक कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध कारित करने से संबंधित प्रकरणों में भी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि शपथ पत्र पर साक्ष्य लेने के संबंध में 1881 के अधिनियम की धारा 145 में अंतर्विष्ट विशेष उपबंधों के मद्देनजर संहिता की धारा 200 लागू नहीं होती, तो यह ध्यान में रखना होगा कि 1881 के अधिनियम के अध्याय **XVII** की वैधानिक योजना में धारा 145 का विशेष उपबंध धारा 143, 144 के नीचे रखा गया है। जबकि धारा 142 अपराधों के संज्ञान के संबंध में उपबंध करती है, धारा 143 प्रकरणों के संक्षिप्त विचारण के संबंध में उपबंध करती है और धारा 144 समन तामील करने के तरीके से संबंधित है। इसके बाद धारा 145 का स्थान, वैधानिक योजना के तर्कसंगत निर्वचन पर, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह विचारण के दौरान संज्ञान-पश्चात कार्यवाहियों पर लागू होता है, न कि संज्ञान-पूर्व चरण पर। धारा 142 के उपबंध संज्ञान लेने के संबंध में विशिष्ट उपबंध करते हैं। यदि विधि निर्माता का यह आशय होता कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध कारित करने से संबंधित परिवाद के प्रकरणों में परिवादी और उसके साक्षियों

(यदि कोई उपस्थित हो) की शपथ पर परीक्षा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए, तो विधायिका ने निश्चित रूप से उस संबंध में विशिष्ट उपबंध प्रदान किया होता। किंतु विधायिका ने केवल उन प्रकरणों के संबंध में अपराध के संज्ञान के लिए अलग उपबंध विहित करना चुना है जो 1881 के अधिनियम की धारा 142 में विस्तृत रूप से परिगणित हैं। **पंकजभाई नगजीभाई पटेल (पूर्वोक्त**) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिक घोषणा के मद्देनजर, 1881 के अधिनियम की धारा 142 या धारा 145 के उपबंधों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध कारित करने से संबंधित संज्ञान लेने के प्रकरणों में, परिवादी और उसके साक्षियों (यदि कोई उपस्थित हो) की शपथ पर परीक्षा करने की वैधानिक आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। यह उल्लेख करना अत्यंत प्रासंगिक है कि उच्चतम न्यायालय **सबीता राममूर्ति और अन्य** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध कारित करने के अभियोग वाले परिवाद के विशेष संदर्भ में परिवादी की शपथ पर परीक्षा की आवश्यकता पर विचार कर रहा था। उसमें उच्चतम न्यायालय ने उन प्रकरणों में वैधानिक आवश्यकताओं के कठोर अनुपालन पर जोर दिया और आग्रह किया जहां न्यायालय को समन जारी करना अपेक्षित है, जो अभियुक्त को किसी प्रकार की प्रताड़ना देगा, और श्रेणीबद्ध रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 200 के निबंधनों के अनुसार, परिवादी शपथ पर यह कथन करने के लिए बाध्य है कि अपराध कैसे कारित किया गया है और अभियुक्त व्यक्ति इसके लिए कैसे उत्तरदायी हैं। 1881 के अधिनियम से संबंधित अपराधों के प्रकरणों में भी परिवादी की शपथ पर परीक्षा की आवश्यकता की आज्ञापक प्रकृति पर केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **एन. हरिहर अय्यर** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **महाराजा डेवलपर्स एवं अन्य** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में जोर दिया है। यही वह दृष्टिकोण है जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने **प्रकाश चंद** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में भी अपनाया है।

17. जिन दो निर्णयों का उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अवलंब लिया है, वे स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। **श्रीमती शमशाद बेगम** (पूर्वोक्त) के प्रकरणों का निर्णय क्षेत्रीय अधिकारिता के पहलू से संबंधित है और यह घोषित करता है कि 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के घटक क्या हैं। चूंकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने संज्ञान लेने के आक्षेपित आदेश को केवल एकमात्र मुद्दे पर चुनौती दी है, जिस पर ऊपर चर्चा और निर्णय किया गया है, इसलिए इस न्यायालय के लिए उत्तरवादी के कहने पर किसी अन्य पहलू पर विचार करना आवश्यक नहीं है। **मैसर्स मांडवी को-ऑप. बैंक लि.** (पूर्वोक्त) के प्रकरण का निर्णय विभिन्न तथ्य स्थितियों और उसमें शामिल मुद्दे पर दिया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 1881 के अधिनियम की धारा 145(2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के दायरे और परिधि पर विचार किया है। उक्त प्रकरण में विचार के लिए जो मुद्दे उत्पन्न हुए थे, वे निर्णय के पैरा 8 में वर्णित हैं। यह प्रश्न, कि क्या 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध कारित करने के अभियोग से उत्पन्न प्रकरणों में अभियुक्त को आदेशिका जारी करके दांडिक विधि को गतिशील करने से पूर्व मजिस्ट्रेट के लिए संहिता की धारा 200 में अंतर्विष्ट अनुभाग के कारण परिवादी और उसके साक्षियों (यदि कोई उपस्थित हो) की शपथ पर परीक्षा करना बाध्यकारी है, न तो उठाया गया था और न ही विनिश्चित किया गया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो मुद्दे आए थे, वे थे: (क) 1881 के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिनियम की धारा 145(2) के तहत अभियुक्त के अधिकार का विस्तार, (ख) क्या 1881 के अधिनियम की धारा 145 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध उन कार्यवाहियों पर लागू होंगे जो 6 फरवरी, 2003 को लंबित थीं, जिस तारीख को वे उपबंध अधिनियम में अंतःस्थापित किए गए थे, (ग) क्या धारा 145(1) के तहत परिवादी को प्रदान किया गया शपथ पत्र पर साक्ष्य देने का अधिकार अभियुक्त को भी उपलब्ध है।

18. उपरोक्त दो निर्णय उत्तरवादी के प्रकरणों में सहायता नहीं करते हैं, विशेष रूप से **पंकजभाई नगजीभाई पटेल** (पूर्वोक्त), **अदालत प्रसाद** (पूर्वोक्त) और **सबीता राममूर्ति और अन्य** (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. परिणामस्वरूप, मजिस्ट्रेट द्वारा 03-07-2009 को उपरोक्त प्रत्येक याचिका में पारित आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा संज्ञान लिया गया और याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, अवैध घोषित किए जाते हैं और एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं। तथापि, मजिस्ट्रेट तीनों परिवादों के प्रकरणों में विधि के अनुसार आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

20. तदनुसार, तीनों याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।

सही/-
मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Bhumesh Bharti

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur